न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 06/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एसेटस केयर एण्ड रिकन्सट्रक्शन एन्टरप्राइजेज जरिये प्राधिकृत अधिकारी कन्हैया माहेश्वरी

रजिस्टर्ड कार्यालय– चौदहवी मंजिल, ईरोस कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस नई दिल्ली

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **दिनेश चंद पोसवाल पुत्र राम निवास गुर्जर**
   प्रथम पताः– श्री जगदम्बा भवन, कैलाश नगर, वार्ड नं. 41, पिपराली रोड़ चौक, सामुदायिक भवन केपास, सीकर, राजस्थान
   द्वितीय पताः– लाल सिंह कॉलोनी राणा कॉलोनी, सीकर, राजस्थान
   तृतीय पताः–पेंशनर, सीकर, राजस्थान
2. **मीना देवी पुत्री जुगीया साहनी**
   प्रथम पताः– श्री जगदम्बा भवन, कैलाश नगर, वार्ड नं. 41, पिपराली रोड़ चौक, सामुदायिक भवन केपास, सीकर, राजस्थान
   द्वितीय पताः– लाल सिंह कॉलोनी राणा कॉलोनी, सीकर, राजस्थान

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 17.3.25

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः **दिनेश चंद पोसवाल पुत्र राम निवास गुर्जर** एवं **मीना देवी पुत्री जुगीया साहनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थी **मीना देवी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **यूनिट नं. 802, आंठवी मंजिल, ब्लॉक ए एल आई जी, प्रोजेक्ट रॉयल रेजीडेन्सी, खसरा नं. 487/128, 489/289 तथा 129, पूजा मैरिज गार्डन के पीछे, ग्राम शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 423.99 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लाट, पश्चिम दिशा में रास्ता 30 फीट, उत्तर दिशा में दीगंर भूमि एवं दक्षिण दिशा में स्कूल स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 6,95,781/– रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख पिचानबे हजार सात सौ इक्यासी)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **16.09.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.09.2021** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः **दिनेश चंद पोसवाल पुत्र राम निवास गुर्जर**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

एवं **मीना देवी पुत्री जुगीया साहनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मीना देवी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **यूनिट नं. 802, आंठवी मंजिल, ब्लॉक ए एल आई जी, प्रोजेक्ट रॉयल रेजीडेन्सी, खसरा नं. 487/128, 489/289 तथा 129, पूजा मैरिज गार्डन के पीछे, ग्राम शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 423.99 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लाट, पश्चिम दिशा में रास्ता 30 फीट, उत्तर दिशा में दीगर भूमि एवं दक्षिण दिशा में स्कूल स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक 17.3.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर